इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376] भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2020—आश्विन 15, शक 1942

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

शुद्धि–पत्र

क्रमांक एफ 6–75–2019–सात–शा.3–मध्यप्रदेश नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन निर्देश, 2020 से संबंधित अधिसूचना मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क. 325 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के पृष्ठ क्रमांक 650(179) पर मुद्रित प्ररूप सोलह त्रुटिवश अधूरा मुद्रित हुआ है। अतएव राजपत्र में प्रकाशित उक्त निर्देश के मुद्रित प्ररूप सोलह के स्थान पर निम्नानुसार प्ररूप सोलह पढ़ा जाए, अर्थात्–

"प्ररूप सोलह

(देखिये कंडिका 140)

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित

हस्तांतरण–विलेख

यह हस्तांतरण विलेख आज दिनांक .... माह .... वर्ष 20........ को मध्यप्रदेश में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 137 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी, कलेक्टर .... मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके

पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा .... (जिन्हें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती, अंतरिती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जाता है;

चूँकि, भूमि का समाविष्ट क्षेत्र का माप ....वर्गमीटर स्थित ग्राम/सेक्टर .... तहसील ....जिला .... मध्यप्रदेश, जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है, दिनांक...........माह.........वर्ष......... से प्रारंभ होने वाली दिनांक....... माह.........वर्ष........को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए स्थायी पट्टे पर दी गयी थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक .... दिनांक.........माह.........वर्ष........द्वारा ....प्रयोजन के लिये भूमिस्वामी अधिकार में देने हेतु संपरिवर्तन मंजूर किया गया है;

और चूँकि, भूमिस्वामी द्वारा चालान क्रमांक .... दिनांक ....माह.........वर्ष........द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये .... (शब्दों में रुपये .... केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है;

और, चूँकि, भूमिस्वामी सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक ....दिनांक ...... माह.........वर्ष........ द्वारा नियत किए गये वार्षिक भू–राजस्व रुपये .... (शब्दों में रुपये .... केवल) का भुगतान करने हेतु जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अध्यधीन होगा, सहमत है;

अतएव, यह अभिलेख इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में उक्त भूमि संबंधी पट्टा विलेख इस विलेख के निष्पादन के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

अनुसूची

भूमि के विवरण जिला............तहसील...................

नगर.............सेक्टर.............. राजस्व निरीक्षक वृत्त.............पटवारी हल्का............ग्राम............

खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/भूखण्ड क्रमांक ....

नक्शा ....

चौहद्दी – पूर्व में...............................

पश्चिम में........................

उत्तर में........................

दक्षिण में........................

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण–
1. ....
2. ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम...
कार्यालय की मोहर..........................
दिनांक ....

साक्षीगण–
1. ....
2. ....

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम...
दिनांक..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. व्ही. रश्मि, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.